राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(36)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 10 FEB 2023

## संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 03.08.2011 में संशोधन करते हुए सागवाडा (जिला डूँगरपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची के क्रम संख्या–8 पर उल्लेखित राजस्व ग्राम– "मावीता" के स्थान पर राजस्व ग्राम– "मावीता (नया)" किया जाता है तथा क्रम संख्या–2, 6 व 10 में वर्णित राजस्व ग्रामों के निम्नलिखित आंशिक क्षेत्र को विलोपित किया जाता है :–

| क्र. सं. | राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में |
|---|---|
| 2. | राजस्व ग्राम गोवाडी के आराजी संख्या 697, 588, 599, 601 की पश्चिमी सीमा के बाहर का क्षेत्र., खसरा संख्या 676, 768 में स्थित रास्ते की दक्षिणी सीमा के बाहर का क्षेत्र तथा खसरा संख्या 2259, 2258, 2244, 3586, 3596/2, 3596/1, 3802, 3804, 3805, 3808, 3807, 1483/1, 3839/1, 1482/1, 1461/1, 1460/4 में स्थित रास्ते की पश्चिमी सीमा के बाहर का क्षेत्र। |
| 6. | राजस्व ग्राम जेठाना के किरण नदी की पूर्वी सीमा के बाहर का क्षेत्र |
| 10. | राजस्व ग्राम आरा के किरण नदी की पूर्वी सीमा के बाहर का क्षेत्र |

**राज्यपाल की आज्ञा से**

**(संचिता बिश्नोई)**
**संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, डूँगरपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सागवाड़ा।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..................... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय**